न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 08 / 2020
दायर दिनांकः 05.02.2019

उनवान

1. भगवान लाल पिता मोहनलाल बैरवा निवासी मालीखेडा तहसील माण्डलगढ

——प्रार्थी

बनाम

1. जेतून पत्नि अब्दूलअजीज शोरगर निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ
2. अब्दूल हकीम पिता मोहम्मद इस्माइल लुहार निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ
3. रामचंद्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ

——अप्रार्थीगण

अन्तर्गत वाद पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री अनिल कुमार पारीक :— अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राधेश्याम शर्मा :— अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 15.04.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 23.06.2014 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम ग्राम मालीखेडा तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी नं. 704 रकबा 7.11 बीघा, 710 रकबा 3.08 बीघा किता 02 रकबा 10.19 बीघा खातेदारी हक मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि आराजी नं. 704 मे से 03 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार आराजी नं. 704 व 710 मे से 01 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 व 5.19 बीघा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर से कब्जा हटाने बाबत कहाँ तो विपक्षीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर से विपक्षीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण को सपुर्द करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब कर वाद सुनवाई दिनांक 27.11.2015 को निर्णय पारित कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर से अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा हटाने बाबत भू अभिलेख निरीक्षक बीगोद को निर्देशित किया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 27.11.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 03 ने न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहां अपील प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 31.10.2018 से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2015 को अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड कर अपीलार्थी श्री रामचंद्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद की आराजियात की पत्थरगढी कार्यवाही करने के पश्चात पक्षकारान की सुनवाई की जाकर अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे प्रकरण पुनः दर्ज कर भू अभिलेख निरीक्षक बीगोद को अपीलार्थी रामचंद्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद की आराजियात की पत्थरगढी करने बाबत निर्देशित किया गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

प्रकरण मे प्रार्थी भगवानलाल बैरवा निवासी मालीखेडा ने दिनांक 23.09.2020 को अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण मे शीघ्र ही पक्षकारान की सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जावे। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे अपीलार्थी रामचंद्र पिता हरला बैरवा की आराजियात की पत्थरगढी हेतु दिनांक 12.02.2021 नियत कर पक्षकारान को वक्त पत्थरगढी मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया लेकिन अपीलार्थी ने जारी सूचना पत्र लेने से इन्कार करते हुये हस्ताक्षर करने से मना कर दिया एवं पत्थरगढी हेतु नियत दिनांक 12.02.2021 को मौके पर उपस्थित भी नही हुआ है। प्रकरण मे तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा पुनः पत्थरगढी हेतु दिनांक 24.02.2021 नियत कर कार्यालय तहसीलदार माण्डलगढ के सूचना पत्र क्रमांक 931 दिनांक 19.02.2021 जारी कर पक्षकारान को तामील करवाकर नियत दिनांक को वक्त पत्थरगढी उपस्थित रहने हेतु सूचित किया गया। तहसीलदार माण्डलगढ ने पत्रांक 932–35 दिनांक 19.02.2021 से उक्त पत्थरगढी बाबत भू अभिलेख निरीक्षक बीगोद के नेतृत्व मे राजस्व टीम का गठन कर अपीलार्थी की आराजियात की नियत दिनांक 24.02.2021 को पत्थरगढी करने हेतु निर्देशित किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक बीगोद ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अपीलार्थी रामचंद्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद बावजूद सूचना निर्धारित दिनांक 24.02.2021 को मौके पर उपस्थित नही हुआ है। राजस्व टीम द्वारा अपीलार्थी रामचंद्र बैरवा से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो टीम को गुमराह करते हुये मौके पर उपस्थित नही हुआ है। अपीलार्थी रामचंद्र पिता हरला बैरवा ने दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुराने नक्शे के आधार पर पत्थरगढी करने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण मे अपीलार्थी, बावजूद सूचना वक्त पत्थरगढी मौके पर उपस्थित नही होने व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुराने नक्शे से पत्थरगढी चाहने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से पत्थरगढी नही करवाना चाहता है एवं प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहता है। प्रकरण मे पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से दिनांक 08.03.2021 को अधिवक्ता राधेश्याम शर्मा, विनोद कुमार मारू, योगेश श्रोत्रिय व संजय चौहान ने एक संयुक्त अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया जो न्याय हित मे दिया गया। विपक्षी संख्या 02 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुआ है अतः विपक्षी संख्या 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

दिनांक 05.04.2021 को जरिये अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब मे अवगत करवाया कि प्रकरण मे प्रार्थी व विपक्षीगण की साहदत लेना आवश्यक है ताकि मामले की वास्तविकता का एवं मौके एवं रिकॉर्ड को स्पष्टीकरण हो सके। विवादित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा 40 वर्षो से लगातार चलता आ रहा है। प्रार्थी कागजी खातेदार है। विपक्षीगण का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रकरण मे पक्षकारान को पूर्ण रूप से सुना जाकर निर्णय पारित करने बाबत निवेदन किया है। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

मेरे द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 का अध्ययन किया गया। प्रकरण मे अपीलार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करने हेतु राजस्व टीम का गठन कर अपीलार्थी को नियत दिनांक को वक्त पत्थरगढी मौके पर उपस्थित रहने बाबत सूचित किया लेकिन अपीलार्थी बावजूद सूचना मौके पर उपस्थित नही होता है एवं न्यायालय मे पुराने नक्शे से पत्थरगढी की मांग करता है जो बिना सक्षम न्यायालय आदेश के संभव नही है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय से अपनी खातेदारी

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

भूमि का नक्शा दुरस्ती पश्चात पत्थरगढी करवाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी खातेदार की भूमि की पत्थरगढी हो चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा पाया गया। अपीलार्थी जो इस प्रकरण मे विपक्षी संख्या 03 है की नक्शा दुरस्ती उपरान्त पत्थरगढी होने तक प्रार्थी को न्याय से वंचित करना न्याय संगत नही है। पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण ने प्रार्थी को विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना एवं विवादित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है अतएवः—

::आदेश::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालीखेडा प0ह0 बीगोद तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी नं. 704 से 03 बीघा भूमि से अप्रार्थी संख्या 01 जेतुन पत्नि अब्दूल अजीज शोरगर निवासी बीगोद का व आराजी नं. 704 व 710 से 01 बीघा भूमि से अप्रार्थी संख्या 02 अब्दूल हकीम पिता मोहम्मद इस्माईल लौहार निवासी बीगोद का व आराजी नं. 704 व 710 से ही 5.19 बीघा भूमि से अप्रार्थी संख्या 03 रामचंद्र पिता हरला बैरवा निवासी बीगोद का कब्जा हटाकर प्रार्थी भगवानलाल पिता मोहनलाल बैरवा निवासी मालीखेडा प0ह0 बीगोद तहसील माण्डलगढ को संभलाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति मे सुनाया गया। निर्णय की पालना हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक बीगोद को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार, माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner